

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ज्ञा लिपर, सर्कट कोर्ट रीवा ३०.पु.०



346  
310214

R - 2485 - ३।१५

1. सुरेन्द्र सिंह तत्य जानकी बछा सिंह, उम्ह-64 वर्ष, निवासी ग्राम जमुनिया,  
श्री. अमन्निलाल जिला सतना म.पु. ----- निगरा कार  
द्वारा आज दिनांक ३०.०७.१५  
प्रस्तुत किया गया।
- रीट  
रीट  
सर्कट कोर्ट रीटीला तत्य रा मेष्वरा कहार, नि.ग्राम सरमनपुर, तह.रा मधुर बाधेलान  
2. हुमुआ तत्य श्यामला ल कहार, नि.ग्राम जमुनिया, तह.रा मधुर बाधेलान  
3. रामजीवन तत्य छुद्दा उर्फ छुद्दसेन कहार, नि.ग्राम सरमनपुर, तह.रा मधुर  
बाधेलान  
4. मुन्नी पुत्री श्यामला ल कहार, नि.ग्राम जमुनिया, तह.रा मधुर बाधेलान  
5. शंती पुत्री श्यामला ल कहार, नि.ग्राम जमुनिया, तह.रा मधुर बाधेलान  
जिला सतना म.पु.

----- जैर निगरा नी कर्तारगण

निगरा नी विरह न्यायालय अमुविभागीय अधिकारी  
तह.रा मधुर बाधेलान जिला सतना म.पु.

प्रकरण क्रमांक 25 अप्रैल/2012-13आदेश 17.6.14

निगरा नी अन्तर्गत धारा 50 म.पु. भू-रा जस्व  
संहिता 1959 इं.

मान्यवर,

निगरा नी के आधार :-

०।- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.6.2014

भारतीय समयसीमा अधिनियम की धारा ५ व निधारीत माननीय उच्च

न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टिकोण से निरस्त

किये जाने योग्य है।

.....2

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 2485 दो/14... जिला टहना

सुरेन्द्र सिंह/रेखा वीरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-1-16	<p>1- आवेदक की ओर से ती इ-डमारी पाठेप (इ. उप.)</p> <p>2- अनावेदक गाा टहना उपरात उपायीत रखी है।</p> <p>3- आवेदक अधिमालक द्वारा दिनांक 20-5-15 को इस अदाए का आवेदन पेश किया गया है। अब निमारती प्रकार आगे नहीं चलाया चाहते हैं। अतः इसी द्वारा प्रत्यक्ष लक्षण अवेदक अधिमालक भी इस दृष्टिकोण से भी गम्भीर है। अतः प्रकार इसी द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है।</p> <p>4- आवेदक की भाँति के तात्पर आवलेय वापस किया जाए। प्रबल देनी से समाप्त होना दर्शक है।</p> <p style="text-align: right;">(A)</p> <p>लक्ष्य:</p> <p>M</p>	<p>प्रकरण-विवाहानी</p> <p>-चाईता</p> <p>वापस लेना चाहता है।</p> <p>20/1/16</p>